417
9-2-2001

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण शाखा) म0 प्र0, भोपाल

कमांक/संरक्षण/कक्ष–2/239 भोपाल, दिनांक 1/2/2001

प्रति,

समस्त वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक (बांध परियोजना)
मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मण्डला
समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश ।

विषयः–अग्नेय शस्त्रों के उपयोग में घायल वनकर्मियों एवं अपराधियों की प्राथमिक उपचार व्यवस्था ।

——:::——

विषयातर्गत उल्लेख है कि विगत दिनों भोपाल वन वृत्त के अन्तर्गत वन अपराध की रोकथाम के दौरान गोली चालन की 2 घटनायें घटित हुई हैं ।

पहली घटना दिनाक 27/8/2000 को सीहोर वन मण्डल की बुधनी परिक्षेत्र के ग्राम देवगांव में मूसली उखाडने के विवाद पर ग्रामवासियों से वनपाल एवं 2 एस0 ए0 एफ0 के जबानों का झगड़ा हुआ जिसमें एस0 ए0 एफ0 के जवान की बन्दूक से गोली चलने के कारण एक आदिवासी घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गयी । दूसरी घटना दिनांक 30/11/2000 को उस समय घटी जब विदिशा वनमण्डल की परिक्षेत्र सिरोंज के ग्राम घटवार के निवासी अतिकमणकारी श्री तेजसिंह को वन कर्मी गिरिफ्तार करने गये थे .वन कर्मियों एवं ग्रामीणों में झगडा हुआ और वनकर्मियों की बन्दूक की गोली के छर्रे श्री तेजसिह को लगे वह घायल हो गया एवं उसकी भी मृत्यु हो गई । इन दोनों घटनाओं में वनकर्मियों ने घायल व्यक्तियों को घटना स्थल पर ही घायल अवस्था में छोडकर भाग गये । यह वन कर्मियों की मानवीय संवेदना व कर्तव्य की घोर उपेक्षा है।

इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र कमांक 1856 दिनांक 6/8/96 एवं मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) के पत्र कमांक 1782 दिनांक 16/6/95 में आग्नेय शस्त्रों के उपयोग के संबंध में विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये हैं । इन दोनों पत्रों में इस बिन्दु का भी समावेश किया गया है कि यदि वन अपराध की रोकथाम के दौरान गोली चालन की घटना घटित होती है और उस घटना में कोई वनकर्मी या वन अपराधी हताहत होता है तो हताहत हुए वनकर्मी या वन अपराधी को प्राथमिकता के तौर पर वन कर्मचारियों द्वारा नजदीकी चिकित्सालय में तुरन्त उपचार हेतु ले जाया जावे ताकि हताहत कर्मचारी/अपराधी को तुरन्त इलाज सुविधा मिल सके किन्तु भोपाल वृत्त में घटित इन दो घटनाओं को देखने से ऐसा आभास होता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)द्वारा जारी निर्देशों का पालन कराया जाये । और क्षेत्रीय वन कर्मचारियों/अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जब कभी वन कर्मचारियों एवं वन अपराधियों में विवाद होने पर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है और गोली चालन जैसी घटना की संभावना बनती है तो वन कर्मी संयम रखे। और दुर्भाग्यवश गोली चालन की घटना घटती है तो घायल वनकर्मी/ अपराधियों को घटना स्थल से उठाकर नजदीकी चिकित्सालय में उपचार हेतु तुरन्त ले जाया जाय ताकि घायल व्यक्ति को तुरन्त उपचार सुविधा मिल सके ।

इन निर्देशों का वनकर्मियों में प्रचार/प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

31/1/2001

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल

31/1/2001

31/1/2001